प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या / /जनहित/2022–23 लखनऊ दिनांक– 16 मार्च, 2023

विषयः जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत, विभाग द्वारा प्रदान की जा रही ''मनोरंजन'' से सम्बन्धित ऑनलाइन सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि जनहित गारण्टी योजना के अन्तर्गत, ''मनोरंजन'' से सम्बन्धित लाइसेंस/अनुमति की 04 सेवाएं, निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से विभागीय पोर्टल–up-gst.com/entertainmenttax/ पर प्रदान की जा रही है। इन पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आनलाइन आवेदन–पत्रों के निस्तारण में व्यवहारिक कठिनाइयों यथा–लाइसेंस फीस जमा होने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन के संबंध में आपत्ति/पृच्छा किये जाने अथवा निरस्त किये जाने की स्थिति में लाइसेंस फीस वापसी के संबंध में आने वाली समस्या, मृत्यु, उत्तराधिकार अथवा अन्य किसी विधिक कारण से लाइसेंसी के नाम में परिवर्तन किये जाने, सीटों की संख्या में परिवर्तन किये जाने तथा लाइसेंस प्राधिकारी, शासन द्वारा दिये गये निर्देश, मा0 न्यायालय के आदेश अथवा अन्य किसी कारण से लाइसेंस अथवा अनुमति के प्रपत्र में कोई अतिरिक्त शर्त जोड़ने में आने वाली समस्या के दृष्टिगत विभागीय पोर्टल–up-gst.com/entertainmenttax/ पर लाइसेंस/अनुमति की प्रक्रिया में अपेक्षित/आंशिक संशोधन किया गया है, आवेदक द्वारा निवेशमित्र पोर्टल पर अपनायी जा रही प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किया गया है, वह यथावत् है। विभागीय पोर्टल–up-gst.com/entertainmenttax/ पर लाइसेंस/अनुमति जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया वर्तमान में निम्नवत् हैः–

1. आवेदक द्वारा निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर समस्त अभिलेखों सहित अपलोड किये गये आवेदन, जनपदीय अधिकारी की लॉगिन में ''जनपदीय अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु लम्बित'' टैब में प्रदर्शित होगा। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये सभी अभिलेख, मात्र जनपदीय अधिकारी को देखने हेतु उपलब्ध होंगे, सत्यापन एवं आपत्ति लगाने हेतु विकल्प (option) प्रदर्शित नहीं होंगे, जिन्हें जनपदीय अधिकारी द्वारा परीक्षण के पश्चात, अपनी टिप्पणी सहित आवेदन–पत्र को अनुमोदन हेतु जिला मजिस्ट्रेट को, अग्रेषित किया जायेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन में ''अनुमोदन हेतु लम्बित आवेदन'' टैब में, जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदनार्थ प्रदर्शित होगा।
2. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों के साथ अपलोड किये गये अभिलेखों एवं जनपदीय अधिकारी की टिप्पणी से सहमत होने की दशा में उसे आनलाइन ही अनुमोदित कर दिया जायेगा और यदि जिला मजिस्ट्रेट को आनलाइन अपलोड किये गये आवेदन–पत्र के किसी अभिलेख पर कोई आपत्ति है, तो उक्त पर अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए उसे जनपदीय अधिकारी को वापस किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वापस किया गया आवेदन जनपदीय अधिकारी की लॉगिन में पुनः ''जनपदीय अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु लम्बित'' टैब में प्रदर्शित होगा तथा सभी अभिलेखों के सत्यापन एवं आपत्ति लगाने हेतु विकल्प (option) प्रदर्शित हो जायेंगे।
3. उपर्युक्त क्रमांक–1 एवं 2 पर वर्णित प्रक्रिया आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। उल्लेखनीय है कि निवेशमित्र द्वारा आवेदन प्राप्ति के 07 दिन के अंदर आवेदन–पत्रों

पर आपत्ति दर्ज करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। निवेश मित्र द्वारा निर्धारित समय–सीमा 07 दिन के पश्चात, आवेदन–पत्र पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी।

4. यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन–पत्र को अनुमोदित कर दिया जाता है तो, अभिलेखों को सत्यापित कर दिया जायेगा और यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की गयी है, तो तद्नुसार अभिलेख को निरस्त करते हुए प्रथम आपत्ति दर्ज की जायेगी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट की आपत्ति का उल्लेख होगा।
5. आपत्तिगत अभिलेख के स्थान पर आवेदक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की पृच्छा के अनुसार, अद्यतन अभिलेख पुनः अपलोड किया जायेगा, जिस पर पुनः क्रमांक–2 एवं 4 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनः उक्त आवेदन पत्र पर कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो, ऐसी दशा में, उक्त आवेदन–पत्र पर द्वितीय आपत्ति दर्ज करते हुए उक्त आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा, परन्तु किसी भी दशा में, प्रथम आपत्ति के समय आवेदन–पत्र को निरस्त नहीं किया जायेगा।
7. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, अनुमोदित/स्वीकृत किये गये आवेदन–पत्रों पर, विभागीय अधिकारी द्वारा ''जनपद–लॉगिन'' में ''शुल्क मांग के लिए सत्यापित/लम्बित आवेदन'' टैब में अपेक्षित शुल्क को भर कर, शुल्क की डिमांड की जायेगी। शुल्क डिमाण्ड किया गया आवेदन–पत्र ''जनपद–लॉगिन'' में आवेदक स्तर पर ''फीस हेतु लम्बित आवेदन'' में प्रदर्शित होगा। अन्य–आमोद की स्थिति में आवेदन–पत्र सत्यापित/अनुमोदित होने के पश्चात, ''लाइसेंस/अनुमति एवं नवीनीकरण का विवरण अंकित करें'' टैब में सीधे प्रदर्शित होगा।
8. आवेदक द्वारा निवेशमित्र पोर्टल पर फीस जमा करने के उपरान्त, विभागीय अधिकारी द्वारा ''जनपद–लॉगिन'' में ''आवेदक स्तर पर फीस हेतु लम्बित आवेदन'' में जाकर उक्त आवेदन–पत्र पर ''चेक पेमेंट स्टेटस (Check Payment Status)'' टैब से फीस को अद्यतन किया जायेगा, जिसके पश्चात, आवेदन ''जनपद–लॉगिन'' में ''लाइसेंस/अनुमति एवं नवीनीकरण का विवरण अंकित करें'' में प्रदर्शित होगा।
9. विभागीय अधिकारी द्वारा ''जनपद–लॉगिन'' में ''लाइसेंस/अनुमति एवं नवीनीकरण का विवरण अंकित करें'' में जाकर अवेदन–पत्र पर यथास्थित लाइसेंस/अनुमति प्रपत्र को तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को उनके डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित करने हेतु अग्रेषित किया जायेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन में ''लाइसेंस/अनुमति हेतु लम्बित आवेदन'' टैब में प्रदशित होगा। इस स्तर पर लाइसेंस/अनुमति प्रपत्र तैयार करते समय, विभागीय अधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक लाइसेंस/अनुमति प्रपत्र पर अंकित विवरण अर्थात–लाइसेंसी का नाम, लाइसेंस/अनुमति की अवधि आदि का परीक्षण करने के उपरान्त ही जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जायेगा।
10. जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन में ''लाइसेंस/अनुमति हेतु लम्बित आवेदन'' को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित किया जायेगा।
11. यह पूरी प्रक्रिया जनहित गारण्टी योजना के अन्तर्गत पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध रूप से, आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त, समय–समय पर विभागीय पोर्टल पर जारी ऑनलाइन लाइसेंस/अनुमति प्रपत्र में संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए व्यवस्था किये जाने हेतु, विभागीय अधिकारियों एवं आमोद स्वामियों द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत, आनलाइन प्रदान किये जा रहे लाइसेंस/अनुमति में संशोधन यथा–लाइसेंसी के नाम, सीटों की संख्या आदि में परिर्वतन किये जाने एवं लाइसेंस/अनुमति के प्रपत्र में कोई अतिरिक्त शर्त जोड़े जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर ''जनपदीय–लॉगिन'' एवं ''जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन'' में की गयी प्रक्रिया निम्नवत् है :–

1. जनपद–लॉगिन में, ''लाइसेंस प्रपत्र में संशोधन'' टैब पर क्लिक करने के पश्चात, जिस लाइसेंस प्रपत्र/अनुमति में संशोधन अपेक्षित है, उसकी आवेदन संख्या भरकर सर्च करना होगा।

2. अपेक्षित विवरण प्राप्त होने के पश्चात, लाइसेंस प्रपत्र में संशोधन हेतु अपेक्षित टिप्पणी अंकित कर, उसे जिला मजिस्ट्रेट महोदय के डिजिटल हस्ताक्षर हेतु अग्रेषित की जायेगी।
3. जिला मजिस्ट्रेट लॉगिन में, ''लाइसेंस प्रपत्र में संशोधन हेतु लम्बित आवेदन'' टैब में प्राप्त आवेदन पर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, अपेक्षित संशोधन को अनुमोदित करते हुए अपने डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित किया जायेगा।
4. यदि जिला मजिस्ट्रेट को उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति है तो उक्त पर अपनी आपत्ति दर्ज की जायेगी। दर्ज आपत्ति की सूचना से, विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को अवगत कराया जायेगा। आपत्ति दर्ज किये जाने की दशा में जनपदीय अधिकारी द्वारा संशोधन हेतु किया गया आवेदन निरस्त हो जायेगा तथा संशोधन हेतु पुनः उपर्युक्त क्रमांक–1 से 3 की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
5. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित संशोधन को अनुमोदित किये जाने एवं डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात, अपेक्षित संशोधन लाइसेंस/अनुमति प्रपत्र में प्रदर्शित हो जायेगा।

उपर्युक्त संशोधित प्रक्रिया का परीक्षण किया जा चुका है तथा इसके संबंध में विभागीय अधिकारियों को दिनांक 28.02.2023 को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है। उक्त संशोधित प्रक्रिया को विभागीय पोर्टल–up-gst.com/entertainmenttax/ पर Live कर दिया गया है।

अतएव अनुरोध है कि कृपया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनों को उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समयान्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–1548 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–1. समस्त जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड–1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ कि इस पत्र को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर कार्य) को अनुपालनार्थ।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।